


12-04-23

दिनांक 11-04-23 को राजकीय अवकाश देने के कारण आज पेश हुई। वकील शर्मा उपस्थित नहीं। वकील शर्मा एवं शर्मा को बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुए। मता यह शर्मा पर मदम पैरवी एवं अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खोज किया जाता है। पत्रावली बाद तरीक़ तन्मूल लेकर दायित्व दफ़्तर है।

निर्णय लिखाया जाकर बुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अमिता बिरनोई)
RAS.

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना